उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-59/सू0अ0 18/84-2-2013-1(वि0)/2006
लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2013

श्री आर0पी0 जौहरी, एडवोकेट,
चेयरमैन, भारत ज्योति कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल,
कार्यालय - ट्रेजरी रोड, सिविल कोर्ट, बरेली-243001 ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन सम्बन्धी अपने पत्र दिनांक 21.09.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका में अंकित वांछित सूचना उनके सम्मुख अंकित स्तम्भ् में उल्लिखित कर प्रेषित है :-

क्र0सं0	वांछित सूचना	टिप्पणी/सूचना
1	यह कि उक्त प्रार्थना पत्र कहाँ प्रेषित किया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?	जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-1989/जि0पू0अ0/उप0सं0/2013, दिनांक 06.08.2013 की अनुलग्नकों सहित छायाप्रति जिलाधिकारी बरेली एवं निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को भेजकर आख्या मांगी गयी है।
2	उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्पष्ट आख्या की छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।	शासनादेशसंख्या-56/361/84-2-2-2013 सीपी 16/97, दिनांक 22.10.2013 तथा संख्या-57/436/84-2-2-2013 सीपी16/97, दिनांक 22.10.2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	उक्त मूल प्रार्थना पत्र मा0 श्री अखिलेश यादव को सम्बोधित था। क्या उसे मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया या नहीं?	बिन्दु संख्या-1 में उत्तर दे दिया गया है।

संलग्नक-यथोक्त।

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी ।

पृष्ठांकन संख्या- 59/सू0अ0 18(1)/84-2-2013-1(विविध)/2006, तद् दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

(1) अनुभाग अधिकारी, लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र.शासन को रूपया 10.00 + 10.00 + 10.00 = 30.00 के भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमशः संख्या-17 एफ 926105, 17 एफ 926106 एवं 17 एफ 926107 की मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे निर्धारित मद में जमा कराने का कष्ट करें।

(2) खाद्य एवं रसद अनुभाग-8 को उनके पत्र दिनांक 26.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://sfcandconsumer.up.nic.in